

म०प्र०राज्य कृषि  
26, अरेरा हिल्स, किसान मंदिर, जल रोड, भोपाल

कमांक/बोर्ड/योजना/गैर.तक./71/पार्ट/1547

भोपाल, दिनांक 5/9/11

### आदेश

म०प्र०राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं कार्यालयीन आदेश कमांक/बोर्ड/4/2/योजना/71/210 दिनांक 28.01.2008 के अंतर्गत कृषि विपणन पुरस्कार योजना के बिन्दु कमांक-7 में योजना के संबंध में संशोधन परिवर्तन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को निर्देशित किया जाता है कि कृषि विपणन पुरस्कार योजना के बिन्दु कमांक 2 योजना का स्वरूप के अंतर्गत विजेता कृषकों के भुगतान पत्रक (रूपन) गुम होने या नष्ट होने पर पुरस्कार राशि वितरण/भुगतान का अनुमोदन प्रबंध संचालक के स्थान पर संबंधित आंचलिक कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक कर सकेंगे।

जनप्रतिनिधि/गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में व्यस्त रहने से, विपणन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा पुरस्कार का ड्रा लॉटरी पद्धति द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार शत्रु नर्मदा जयंती एवं बलराम जयंती पर निकाले जायेंगे। 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) में ड्रा नहीं निकाले जायेंगे।

ड्रा निकालने हेतु कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा 01 फरवरी से 31 जुलाई तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा बलराम जयंती को तथा 01 अगस्त से 31 जनवरी तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा नर्मदा जयंती को निकाला जावेगा योजना की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा।

*Signature*  
30.8.11

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (1) विशेष सहायक मान. अध्यक्ष, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
- (2) अपर संचालक (समस्त) म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- (3) मुख्य अभियंता, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- (4) संयुक्त संचालक/उप संचालक म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल
- (5) संयुक्त संचालक/उप संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)
- (6) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .....जिला.....  
(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

*Law*  
30/8/11  
प्रबंध संचालक  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल